फाईल नं0-23-10099(099)/80/2023- 10-

आई/412997/2023

संख्या-205/2023/1263/23-10099(099)/80/2023

प्रेषक,

लाल धीरेन्द्र राव,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

प्रमुख अभियंता (विकास) एवं विभागाध्यक्ष,
लोक निर्माण विभाग,
उ0प्र0 लखनऊ।

लोक निर्माण अनुभाग-10 **लखनऊ: दिनांक 20 अक्टूबर, 2023**

विषयः- वित्तीय वर्ष 2023-2024 में जनपद चन्दौली में अहरौरा चकिया इलिया के किमी0-26 में कर्मनाशा नदी पर स्थित मगरौर पुल के मरम्मत कार्य की प्रशासकीय स्वीकृति के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक कार्यालय प्रमुख अभियंता(सेतु विंग), लो0नि0वि0, उ0प्र0 के पत्र संख्या-1407/प्रा0-आगणन-चंदौली (अहरौरा चकिया इलिया)/सेतु-6/23-24 दि0 05.09.2023 का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

2- इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि जनपद चन्दौली में अहरौरा चकिया इलिया के किमी0-26 में कर्मनाशा नदी पर स्थित मगरौर पुल के मरम्मत विषयक कार्य हेतु लागत रू0 74.99 लाख (रूपये चौहत्तर लाख निन्यानबें हजार मात्र) की प्रशासकीय स्वीकृति निम्न विवरणानुसार तथा निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों सहित अवमुक्त किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैः-

(धनराशि लाख रूपये में)

क्रं0	कार्य का विवरण	आंकलित लागत	वित्तीय वर्ष 2023-24 में आंवटन	कार्यदायी संस्था
1	जनपद चन्दौली में अहरौरा चकिया इलिया के किमी 0-26 में कर्मनाशा नदी पर स्थित मगरौर पुल के मरम्मत विषयक कार्य का प्रारम्भिक आगणन	63.55	74.99	नि0ख0 लो0नि0वि0 चन्दौली
2	जी0एस0टी0 18 प्रतिशत (लागत रू0 63.55 लाख पर)	11.44		
	योग (1+2)	74.99		

रू0 74.99 लाख (रू0 चौहत्तर लाख निन्यानबें हजार मात्र)

नियम व शर्ते/प्रतिबन्धों

(1) वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या -2/2023/बी-1-227/दस-2023-231/2023, दिनांक 17 मार्च, 2023 में दिये गये दिशा निर्देशों का अक्षरशः अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(2) शासनादेश सं0-133/2023/610/001-610-23-10-23-10(ब0)/2017 दिनांक 21.06.2023 में दिये गये दिशा-निर्देशों का अक्षरशः अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा ।

http://shasanadesh.up.gov.in/GOUNTRA

3- प्रश्नगत कार्य पर होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2023-24 में राज्य योजना (सामान्य) के **अनुदान संख्या-57** के अन्तर्गत लेखाशीर्षक-3054-सड़क तथा सेतु-04-जिला तथा अन्य सड़कें-800-अन्य व्यय-04-पुलों का अनुरक्षण-29-अनुरक्षण के मद में रू0 90.00 करोड़ का बजट प्राविधान किया गया है, जिसमें से रू0 88.81 करोड़ शासनादेश दिनांक 21.06.2023 द्वारा प्रमुख अभियंता(विकास) एवं विभागाध्यक्ष, लो0नि0वि0 के निवर्तन पर रखा गया है, में से वहन किया जायेगा तथा उक्त कार्य के नामे डाला जायेगा।

4- यह आदेश वित्त (आय व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-2/2023/बी-1-227/दस-2023-231/2023, दिनांक 17 मार्च, 2023 एवं यथा संशोधित कार्यालय ज्ञाप संख्या-10/2023/बी-1-602/दस-2023-231/2023, दिनांक 19 सितम्बर, 2023 में प्रशासकीय विभाग को उक्तवत प्रतिनिधानित अधिकार के अंतर्गत निर्गत किये जा रहे है।

भवदीय,

(लाल धीरेन्द्र राव)
विशेष सचिव।

संख्या-205/2023/1263/23-10099(099)/80/2023-तददिनांक ।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1- निजी सचिव, मा0 मंत्री जी।
2- महालेखाकार, प्रथम (निर्माण), उ0प्र0, प्रयागराज।
3- संबंधित मण्डलायुक्त/ जिलाधिकारी।
4- मुख्य अभियन्ता (सेतु) लोक निर्माण विभाग, लखनऊ।
5- मुख्य अभियन्ता, वाराणसी क्षेत्र, लोक निर्माण विभाग ।
6- वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-8 ।
7- समाज कल्याण (बजट प्रकोष्ठ)/राज्य योजना आयोग अनुभाग-1/2 ।
8- बजट आवंटन अधिकारी, लो0नि0वि0, उ0प्र0 शासन।
9- संबंधित कोषाधिकारी।
10- गार्ड फाइल ।

आज्ञा से,

(अभय प्रताप श्रीवास्तव)
अनुसचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in/GOMTRA